Established: 2023

BUNDELKHAND RESEARCH JOURNAL (BRJ)

(An Interdisciplinary, Open Access, Biannual, Multilingual and Peer-Reviewed e-Journal)

Maharaja Chhatrasal Bundelkhand University, Chhatarpur, (Madhya Pradesh) India

(A State Government University)

2025, Vol. 3, Issue 2

Website: https://brj.mcbu.ac.in/

ISSN: 2584-0533

जिला उद्योग केंद्रों की अवधारणा: मध्य प्रदेश राज्य के संदर्भ में

उपेन्द्र कुशवाहा एवं प्रभा अग्रवाल

वाणिज्य अध्ययन शाला एवं शोध केन्द्र, महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यलय, छतरपुर (म.प्र)

ARTICLE INFO

Paper ID

BRJFLCM25479079

Corresponding Author

Upendra Kushwaha

Email

kushwaha.tkg@gmail.com

DOI

https://doi.org/10.65554/brj.v3i2.03

Received: 16-06-2025

Revised: 12-11-2025

Accepted: 17-11-2025

Published: 31-12-2025

ABSTRACT

जिला उद्योग केंद्र जिलों के स्तर पर कार्यरत एक संगठन है। यह केंद्र जिले के उद्यमियों को एक ही स्थान पर संपूर्ण जानकारी, ज्ञान, सेवाएँ और सुविधाएँ प्रदान करता है, जो उन्हें लघु, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग स्थापित करने में सक्षम बनाता है। सेवाओं और सुविधाओं में विकास की संभावनाओं की वित्तीय जांच, उपयुक्त प्रणालियों की पहचान, व्यवहार्यता विवरण की तैयारी, मशीनरी प्रदान करने की व्यवस्था, कच्चे माल की शर्त, गुणवत्ता नियंत्रण, जांच और उद्यमियों का प्रशिक्षण समावेशित है।

Keywords: जिला उद्योग केंद्र, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास।

प्रस्तावना

देश की औद्योगिक मूलभूत संरचना में जिला उद्योग केंद्र की भूमिका महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक है। ये केंद्र क्षेत्रीय औद्योगिक असंतुलन के बड़े अंतर को कम करने में सफल सिद्ध हुए हैं। एक ओर जहां पिछड़े क्षेत्रों में विभिन्न पारंपरिक उद्योगों को कम होने से बचाया गया है और विभिन्न प्रोत्साहनों के माध्यम से उन्हें सशक्त किया गया है, वहीं हमारी आधुनिक अर्थव्यवस्था पर आधारित मध्यम और लघु उद्योग जो आर्थिक विकास के आवश्यक तत्व हैं, बड़ी संख्या में स्थापित किए गए हैं। उद्यम स्थापित करने और उसके सुचारू क्रियान्वयन से संबंधित सभी जानकारी उद्यमी अपने विकास खंड के जिला उद्योग केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं। जिला उद्योग केंद्र छोटे और बड़े उद्योगों के प्रस्तावों को समान महत्व देता है, जिस से उद्यमियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार लाभ मिल सके।

पूर्व साहित्य का अध्ययन

शोध-पत्र के विषय से सम्बंधित निम्नलिखित पूर्व अध्ययन सम्पन्न किया गया :-

1. शर्मा, प्रंकुश (2014) ने अपने शोध प्रंबध ”औद्योगिक विकास में जिला उद्योग केन्द्रों की भूमिका - एक तुलनात्मक अध्ययन ” में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता व सामाजिक न्याय की दिशा में कदम बढ़ाये है। यह विकासशील देशों में सबसे अधिक विकसित अर्थव्यवस्था मानी जाने लगी है। जुलाई, 1991 से आर्थिक सुधारों के फलस्वरूप विदेशी विनिमय कोष 1 अरब डालर से बढ़कर जनवरी, 2023 में 634 अरब डालर हो गया है। इसका उचित उपयोग किया जाना आवश्यक है। भारत में उदारीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। आर्थिक उदारीकरण की नीति के तहत निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है। अक्सर कहा जाता है कि भारत एक धनी देश है, लेकिन भारतवासी निर्धन है। इसका अभिप्राय यह है कि प्रकृति ने भारत को अपने उपहार उदारतापूर्वक प्रदान किए है, लेकिन उनका ठीक से विदोहन, उपयोग व संरक्षण न कर सकने के कारण देश आर्थिक दृष्ठि से निर्धन रह गया है। भारत के अन्य राज्यों की तुलना में मध्यप्रदेश में उघोगों का विकास मन्द रहा है। ब्रिटिश काल में सेन्ट्रल प्राविंस में औद्योगिक ससाधनों के विकास की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। नई औद्योगिक नीति के उद्योगों के क्रियान्वयन हेतु जिला उद्योग केन्द्र के अन्तर्गत एक प्रशासनिक ढॉचे का गठन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उधमियों को वांछित सुविधाएँ एवं सहयोग सरलतापूर्वक एक ही केन्द्र पर उपलब्ध कराना है, तथा किसी भी उधमी की सभी आवश्यकताएँ पूर्ण हो सकें, इस उद्देश्य से जिला उद्योग केन्द्र का विकास किया गया।

2. तिवारी ओमकार एवं पाण्डेय डॉ. पी.पी. (2021) ने अपने शोध :- पत्र “सतना जिले के औद्योगिक विकास में जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र के योगदान का विश्लेषणात्मक अध्ययन" के अंतर्गत औद्योगिक विकास में जिला उद्योग व व्यापार केन्द्र से सम्बन्धित आवश्यक तथ्यों के सम्बन्ध में जानकारी के लिए सम्बन्धित उद्यमों में जाकर साक्षात्कार अनुसूची के द्वारा प्राधिकारियों से प्राथमिक सर्वेक्षण किया गया। प्राथमिक सर्वेक्षण का प्रमुख उद्देश्य औद्योगिक विकास करने में जिला उद्योग व व्यापार केन्द्र के मदद से सम्बन्धित प्राथमिक स्तर की जानकारी प्राप्त करना था। द्वितीयक साक्षात्कार अनुसूची के अन्तर्गत जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र के सहयोग से संचालित की गयी। व्यवसायियों से साक्षात्कार अनुसूची के द्वारा तथ्यों को

एकत्रित किया गया। सर्वेक्षण से प्राप्त निष्कर्षों से यह अभीभूत होता है कि औद्योगिक विकास में जिला उद्योग व व्यापार केन्द्र द्वारा प्रदत्त सहायता, मानक स्तर के अनुरूप है तथा अन्य क्षेत्रों के संतुष्टि का स्तर मानक स्तर के समतुल्य है। अतएव जिससे यह फलीभूत होता है कि सतना जिले के औद्योगिक विकास में स्थित औद्योगिक इकाइयों के विकास में जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र द्वारा प्रदत्त सहायता, यदि क्षेत्रीय कुशल एवं अकुशल श्रमिकों को दृष्टिगत रखकर की जाए और यह औद्योगिक संस्थाओं के मुख्य क्षेत्रों के प्रति दायित्वों के निष्पादन के दृष्टिकोण से किया जाए तो संस्था व व्यापार केन्द्र की स्थापना को प्रदेश एवं राष्ट्र में प्रत्येक स्तर पर प्रोत्साहित कर औद्योगिक विकास को बढ़ाने का प्रयास किया जा सकता है।

शोध पद्धति

शोध-पत्र में वर्णनात्मक शोध विधि का उपयोग किया गया है, जिसके अंतर्गत जिला उद्योग केंद्रों से सम्बंधित विविध विवरण समाहित है। इसमें प्राथमिक और द्वितीयक डेटा संग्रहण तकनीकों को शामिल किया गया है। ताकि प्राप्त निष्कर्षों की सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके।

शोध-पत्र का उद्देश्य

1. जिला उद्योग केंद्रों की अवधारणा के अध्ययन अंतर्गत उनकी गतिविधियों, उद्देश्य तथा कार्यों का अध्ययन करना।

2. जिला उद्योग केंद्रों से सम्बंधित एक योजना अर्थात् प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का विवरण प्रस्तुत करना।

परिकल्पना

मध्य प्रदेश राज्य में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा है।

जिला उद्योग केंद्रों की गतिविधियाँ

जिला उद्योग केंद्र एक जिला स्तरीय संस्था है जो अपने जिले की सभी छोटी इकाइयों और उद्यमियों को उद्योगों की स्थापना और विकास के लिए आवश्यक सुविधाएं, संसाधन एवं सहायता प्रदान करती है। इन सुविधाओं में वित्त और ऋण, कच्चामाल, लाइसेंस अनुमोदन, संयंत्र और मशीनरी, तकनीकी सलाह, तैयार माल का विपणन, विभिन्न सरकारी रियायतें आदि की सुविधाएं समावेशित हैं। ये सुविधाएं विनियोग से पूर्व, विनियोग के समय और विनियोग के पश्चात् एक छत के नीचे उद्यमी को प्रदान की जाती हैं। इसे 'एकल खिड़की विचार धारा'के नाम से जाना जाता है। श्री बसंत देसाई के अनुसार, "जिला उद्योग केंद्र एक जिला स्तरीय संस्था है जो उद्यमियों को एक ही स्थान से सभी सेवाएँ प्रदान करती है ताकि वे अपने लघु और कुटीर उद्योग स्थापित कर सकें। "जिला उद्योग

केंद्र का अर्थ है एक ऐसी संस्था जो सभी प्रकार की सहायता प्रदान करती है और उद्यमियों को एक ही छत के नीचे सुविधाएं मिलेंगी। जिला उद्योग केंद्र की गतिविधियाँ निम्नानुसार हैं -

1. वर्तमान प्रथागत और नवीन उद्यमों की समीक्षा करना, कच्चे माल और व्यक्तिगत संसाधनों की स्थिति का पता लगाना, योजनाओं और कार्य क्रमों को पहचानना, विभिन्न उत्पादों के लिए बाजार पूर्वानुमान बनाना और तकनीकी - आर्थिक व्यवहार्यता प्रतिवेदन तैयार करना।

2. लघु उद्योग सेवा संस्थान के संबंध में लघु एवं छोटी इकाइयों के उद्यमियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करना।

3. विभिन्न संस्थाओं के लिए कच्चे माल की पूर्वापेक्षाएँ, उनके आधार और मूल्य निर्धारित करना, उद्यमियों के लिए उनके क्रय और आवंटन प्रक्रिया को व्यवस्थित करना।

4. राज्य खादी बोर्ड के संबंध में कुटीर उद्योगों के साथ- साथ खादी और ग्रामोद्योग के विस्तार पर विशेष विचार करना और ग्रामीण कारीगरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

5. अग्रणी बैंकों और संबंधित वित्तीय संस्थानों के साथ संबंधों को कायम रखना, प्रक्रिया अनुरोधों का आकलन करना, जिले के भीतर औद्योगिक ऋण की स्थिति की जांच करना और उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

6. विपणन चैनलों का आयोजन, सरकारी अधिग्रहण संस्थानों के साथ संबंध बनाए रखना, उद्यमियों को बाजार आगत प्रदान करना, बाजार सर्वेक्षण एवं बाजार विस्तार कार्यक्रम आयोजित करना।

7. छोटे स्तर पर, लघु और ग्रामीण उद्यमों के तंत्र एवं उपकरणों का मूल्यांकन करना और जिला उद्योग केंद्र में उन स्थानों को वर्णित करना, जहां जांच केंद्रों के साथ संपर्क बनाए रखने एवं मशीनरी की आपूर्ति के आयोजन के लिए विभिन्न इकाइयों हेतु किराया-क्रय के आधार पर आवश्यक तंत्र व उपकरण उद्योगपतियों के लिए उपलब्ध हो सकते हैं।

8. विद्युत आपूर्ति और विभिन्न संबद्ध विभागों से लाइसेंस के संबंध में उद्योगपतियों को तत्काल सहायता प्रदान करना।

9. औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यमों के प्रारम्भ हेतु आवश्यक परिचालन सुविधा और स्थानों के आवंटन में उद्योगपतियों को सहायता करना।

10. साक्षर बेरोजगारों जैसे - अनुसूचित समुदायों, सामाजिक/आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के लिए सभी आवश्यक वित्त प्रदान करने में सहायता करना, ताकि वे निर्दिष्ट रोजगार कार्य क्रमों से संबंधित अपने उद्यम प्रारम्भ कर सकें।

11. महिला उद्यमियों के लिए उचित तकनी की प्रशिक्षण के विस्तार में सहायता करना ताकि वे स्व-रोजगार सृजन कार्य क्रमों का पालन कर सकें।

12. ग्राम कुटीर उद्योग के श्रमिकों के साथ-साथ लघु उद्योगों के उद्यमियों की सहायता करना, ताकि वे उद्यमशील सहकारी समितियों के माध्यम से संयुक्त रूप से उदयम स्थापित कर सकें।

13. एक विशिष्ट स्थान की स्थापना से संबंधित उद्यमों को अनुमति और प्रमाणन से संबंधित प्रकरणों में तीव्रता लाना।

14. राज्य सब्सिडी, विशिष्ट पूंजी सब्सिडी, एलटीपी शुल्क सब्सिडी, जनरेटर सब्सिडी, जीएसटी छूट और बिक्री कर स्थगन कार्यक्रम जैसे कार्यक्रमों से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी पर काम करना और आवंटित करना।

जिला उद्योग केन्द्रों के उद्देश्य

शुरुआत से ही इस विचारधारा का प्रमुख सिद्धांत उद्यम स्थापित करने में सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए उद्यमियों को मिलने वाले चैनलों की संख्या को कम करना रहा है। अब राज्य सरकारों के कई विभागों द्वारा जिला उद्योग केन्द्रों के पक्ष में उपयुक्त प्राधिकरण सौंप दिए गए हैं, जो एक उद्यमी को उसके लिए आवश्यक संपूर्ण सहायता एक ही स्रोत से प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। देश के प्रत्येक जिले को जिला उद्योग केंद्र से जोड़ने का प्रयास किया गया है। जिला उद्योग केंद्र का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लघु और कुटीर उद्योगों का विकास करना, रोजगार सृजन के नए अवसर खोजना एवं ग्रामीण आबादी की आय और जीवन स्तर को बढ़ाना है। औद्योगीकरण की समस्याओं को जिला स्तर पर जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से अवलोकन एवं समाधान किया जाता है। जिला उद्योग केंद्र एक केंद्रीय संगठन है जो वित्तनिगम, औद्योगिक विकास और निवेश निगम, उद्योग निदेशालय, खनिज विकास निगम, लघु उद्योग निगम, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, बिजली बोर्ड के कार्यालयों आदि जैसी एजेंसियों के कार्यालयों को जोड़ता है। जो उद्योगों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान करती हैं, इन एजेंसियों के माध्यम से छोटे उद्यमियों को एक ही स्थान पर सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती हैं।

जिला उद्योग केन्द्रों का गठन निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया है -

1. लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास करना।
2. विनियोग से पूर्व, उस के दौरान और बाद में छोटे, ग्रामीण और घरेलू उद्योगों के लिए एक ही छत के नीचे आवश्यक सेवाएं प्रदान करना।
3. सरकार की औद्योगिक नीतियों को जिला स्तर पर लागू करना।

4. नए उद्यमियों की खोज करना।

5. ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगीकरण को प्रोत्साहित करना।

6. जिले की औद्योगिक संभावनाओं एवं स्थानीय संसाधनों के आधार पर विकास कार्य क्रम तैयार करना।

7. लघु एवं कुटीर उद्योगों के लिए आवश्यक वित्त, भूमि, भवन, कच्चामाल, मशीनरी, सामग्री एवं माल के विपणन की सुविधा उपलब्ध कराना।

8. छोटे उद्यमियों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था करना।

9. गांवों में हस्त शिल्प उद्योगों का विकास करना।

10. नए उद्यमियों को प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने में मार्ग दर्शन प्रदान करना।

11. औद्योगिक विकास की मूलभूत सुविधाएं- सड़क, विद्युत, जल, परिवहन आदि विकसित करना।

12. रुग्ण इकाइयों की समस्या का समाधान कर उन्हें पुनर्जीवित करना।

13. औद्योगिक विकास की विभिन्न सरकारी योजनाओं की सफलता में योगदान देना।

14. जिले में रोजगार के अवसर उत्पन्न करना।

15. जिला स्तर पर "जिला उद्योग ब्यूरो" की स्थापना करना ताकि उद्यमियों को आवश्यक साहित्य एवं जानकारी उपलब्ध हो सके।

16. जिला स्तर पर कार्यरत विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं के कार्यों में समन्वय स्थापित करना।

जिला उद्योग केन्द्रों के कार्य

जिला उद्योग केन्द्रों के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं।

1. जिला उद्योग केंद्र उद्यमियों को निवेश कार्य करने की सलाह देता है।

2. जिले के सभी छोटे उद्योगों, मध्यम उद्योगों और बड़ी औद्योगिक इकाइयों से संबंधित आंकड़े रखता है।

3. उद्यमों के प्रशिक्षण विकास के लिए कार्य क्रम आयोजित और कार्यान्वित करता है।

4. उद्यमियों को नये अवसरों के प्रति जागरूक बनाता है और उनका मार्गदर्शन करता है।

5. लघु उद्योगों के लिए पंजीकरण प्रदान करता है।

6. यह केंद्र उद्यमियों को जल आपूर्ति बोर्ड, बिजली बोर्ड का लाइसेंस प्राप्त करने में मदद करता है।

7. यह केंद्र उद्यमियों को निवेश संबंधी कार्य करने की सलाह देता है।

8. उन्हें कच्चे माल की उपलब्धता के लिए स्थानीय स्रोतों की जानकारी प्रदान करता है।

विस्तार से कार्यों पर नीचे चर्चा की गई है -

विकास कार्य

जिला उद्योग केंद्र जिले में उद्योगों की

स्थापना, विकास और संरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। वे जिले में रोजगार, आय और पूंजी निर्माण को प्रोत्साहित करते हैं। उनके विकासात्मक कार्य इस प्रकार हैं-

1. जिले में स्थानीय संसाधनों - भूमि, जल, खनिज, बिजली कनेक्शन, श्रम, यातायात, संचार आदि का विश्लेषण करना।

2. जिले में नये उद्यमियों की खोज एवं विकास करना।

3. जिले के सहायक उद्योगों का अध्ययन करना।

4. औद्योगिक क्षेत्रों में आवश्यक सुविधाओं का निर्माण एवं समुचित व्यवस्था।

5. उद्योगों की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना।

6. सहयोगियों के लिए आवश्यक तकनीकी जानकारी एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

7. वित्तीय संस्थाओं एवं बैंकों से ऋण उपलब्ध कराना।

8. कच्चे माल एवं जनसुविधा के केन्द्र स्थापित करना।

9. विनिर्मित वस्तुओं की बिक्री हेतु कार्य क्रम तैयार करना।

प्रशासनिक कार्य

जिला उद्योग केंद्र अपने जिले के उद्योगों के संबंध में विभिन्न प्रबंधन संबंधी कार्य भी करते हैं। उनमें से कुछ हैं -

1. जिले की लघु इकाईयों का अस्थाई एवं स्थाई पंजीयन एवं उनका नवीनीकरण।

2. उद्योगों के लिए भूमि, कच्चे माल आदि आवश्यक संसाधनों का वितरण।

3. अनुदान एवं ऋण का वितरण।

4. उद्योगों की विकास योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना।

5. उद्यमियों की समस्याओं का पता लगाना तथा उनकी रोक थाम के उपाय करना।

6. औद्योगिक शिविर एवं सेमिनार आयोजित करना।

7. स्वरोजगार योजना के तहत उद्यमियों का चयन करने हेतु ऋण बैंकों को अनुशंसा।

8. उद्योगों से संबंधित विभिन्न विभागों, संस्थानों एवं एजेंसियों के बीच संपर्क एवं समन्वय बनाये रखना।

9. बीमार इकाइयों का पता लगाना और उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक सहायता एवं सुविधाएं प्रदान करना।

10. प्रदर्शनियों, सम्मेलनों एवं अन्य मीडिया के माध्यम से उद्योगों की स्थापना के संबंध में विभिन्न सूचनाओं का प्रसारण।

अन्य कार्य

जिला उद्योग केन्द्रों के अन्य विविध कार्य इस प्रकार हैं -

1. उद्योगों की परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में सहायता प्रदान करना।

2. प्रबंधकीय एवं तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करना।

3. वित्तीय संसाधनों की प्राप्ति में सहायता करना।

4. सरकारी नियमों एवं योजनाओं की जानकारी प्रदान करना।

5. उद्यमियों की विपणन समस्याओं का निवारण करना।

6. औद्योगिक नीति के क्रियान्वयन में सहयोग करना।

7. कमजोर वर्गों को प्रशिक्षण, ऋण एवं अनुदान प्रदान करना।

8. हस्त शिल्पियों को विभिन्न प्रकार की सहायता देकर हस्त शिल्पकला को सुरक्षित करना।

9. उद्यमियों की विभिन्न समस्याओं एवं बाधाओं को दूर करना।

10. विभिन्न औपचारिकताओं को पूरा करने में उद्यमियों को सहायता प्रदान करना।

बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों की भूमिका

बैंकिंग संस्थाएँ घरेलू बचत को बढ़ावा देने और उसे वित्तीय बाज़ार तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बैंक घरेलू बचत राशि के सुरक्षित विनियोजन के लिए सेवा और अवसर प्रदान करते हैं और यह बचत राशि कृषि, उद्योग, सेवाओं आदि में निवेश के लिए ऋण के रूप में प्रदान की जाती है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

भारत सरकार ने 31/03/2008 तक चल रही दो योजनाओं का विलय कर दिया और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम नामक एक नई योजना वर्ष 2008 से प्रारम्भ की गई। यह योजना खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा एकमात्र नोडल एजेंसी के रूप में कार्यान्वित की जाती है। राष्ट्रीय स्तर. राज्य स्तर पर यह योजना राज्य खादी और ग्रामोद्योग आयोग तथा बोर्ड, जिला उद्योग केंद्रों एवं बैंकों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। योजना के तहत खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा सरकारी सब्सिडी चयनित बैंकों के माध्यम से लाभार्थियों या उद्यमियों को उनके बैंक खाते में वितरित की जाती है।

उद्देश्य

1. नये स्वरोजगार उद्यमों/ परियोजनाओं/ सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न करना।

2. पारंपरिक कारीगरों या ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं को दूर-दराज के स्थानों से लाना और जहां तक संभव हो, उन्हें स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना।

3. देश के पारंपरिक और संभावित कारीगरों, ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं को

ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में उनके प्रवास को रोकने के लिए निरंतर और दीर्घकालिक रोजगार प्रदान करना।

4. श्रमिकों की आय अर्जन क्षमता को बढ़ाना और ग्रामीण एवं शहरी रोजगार की वृद्धि दर को बढ़ाने में योगदान देना।

लाभार्थी के लिए पात्रता शर्तें

1. 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति।

2. विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख रुपये से अधिक तथा व्यवसाय या सेवा क्षेत्र में 5 लाख रुपये से अधिक लागत की परियोजना स्थापित करने के लिए लाभार्थी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए।

3. इस योजना के तहत सहायता केवल प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत स्वीकृत नई परियोजना के लिए उपलब्ध है।

4. स्वयं सहायता समूह (गरीबी रेखा से नीचे के समूहों सहित, बशर्ते कि उन्होंने किसी अन्य योजना के तहत लाभ नहीं लिया हो) भी प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत सहायता के लिए पात्र हैं।

5. सोसायटी रजिस्ट्री अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत संस्थाएँ।

6. मौजूदा इकाइयां (प्रधानमंत्री रोजगार योजना ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम या भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत) और ऐसी इकाइयां जिन्होंने भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत सब्सिडी का लाभ उठाया है, पात्र नहीं हैं।

लाभार्थियों का चयन

लाभार्थियों का चयन जिला मजिस्ट्रेट/जिला आयुक्त/कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला कार्य समूह समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।

पारिवारिक आय - कोई आय सीमा नहीं।

परियोजना लागत - (अ) उद्योग श्रेणी के लिए रुपये 25 लाख तक।

(ब) सेवा श्रेणी के लिए रु. 10 लाख तक।

मार्जिन मनी (आवेदक द्वारा देय) - (अ) सामान्य जाति के पुरुष के लिए परियोजना लागत का 10 प्रतिशत।

योजना के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक एवं अपात्र गतिविधियाँ

इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित इकाइयों को स्थापित करने की अनुमति नहीं होगीः-

1. मांस से संबंधित उद्योग।

2. बीड़ी, पान, सिगरेट आदि नशीली वस्तुओं का उत्पादन एवं बिक्री।

3. शराब और मांसाहारी भोजन परोसने वाला होटल ढाबा।

4. चाय, कॉफी, रबर आदि का वृक्षारोपण और खेती, रेशम उत्पादन, बागवानी, हार्वेस्टर,

मछली पालन, पशु पालन।

5. प्लास्टिक बैग, कंटेनर या उत्पाद जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

6. ग्रामीण परिवहन।

प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने तथा योजना के बारे में ग्रामीण, अर्ध-शहरी और शहरी क्षेत्रों के संभावित लाभार्थियों को शिक्षित करने के लिए, खादी और ग्रामोद्योग आयोग एवं जिला उद्योग केंद्र एक-दूसरे तथा राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के साथ समन्वय करते हैं। देश भर में जागरूकता शिविरों में बेरोजगार पुरुषों और महिलाओं को शामिल किया जाता है, जिसमें विशेष श्रेणी के सदस्यों यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं आदि पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिक्षित बेरोजगार युवाओं के हित में अब तक संचालित सभी योजनाओं में यह संभवतः सबसे व्यापक एवं बहुउपयोगी योजना है, जिसके उचित कार्यान्वयन से न केवल लाखों शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार का मार्ग प्रशस्त हो रहा है बल्कि इससे देश के औद्योगीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा, विशेषकर छोटे क्षेत्र को भी नई दिशा मिलेगी। योजना के सफल संचालन का उत्तरदायित्व उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, राज्य उद्योग मंत्रालयों का है जो योजना को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय लगातार योजना की प्रगति और कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों का मूल्यांकन कर रहा है। इसके अलावा, विकास आयुक्त (लघु उद्योग), उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार का कार्यालय भी विभिन्न स्रोतों से योजना की समीक्षा करता है। योजना को और अधिक प्रभावी ढंग से चलाने के लिए राज्य का उद्योग विभाग भी राज्य स्तर पर प्रयास कर रहा है इस संबंध में विभिन्न सेमिनारों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप जिला उद्योग केंद्र और बैंक अधिकारियों को उनके माध्यम से बोलने और दूसरों के विचारों को सुनने का अवसर मिला है।

वर्ष	**संवितरित मार्जिन मनी सब्सिडी (लाख में)**	**सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या**	**अनुमानित सृजित रोजगार**
2017-18	7631.41	1804	14432
2018-19	10002.28	2526	20208
2019-20	8046.65	2168	17344
2020-21	13807.82	4854	38832
2021-22	20961.46	8082	64656
https://pib.gov.in/			

तालिका क्र. 1

म.प्र. में विगत पांच वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का प्रदर्शन

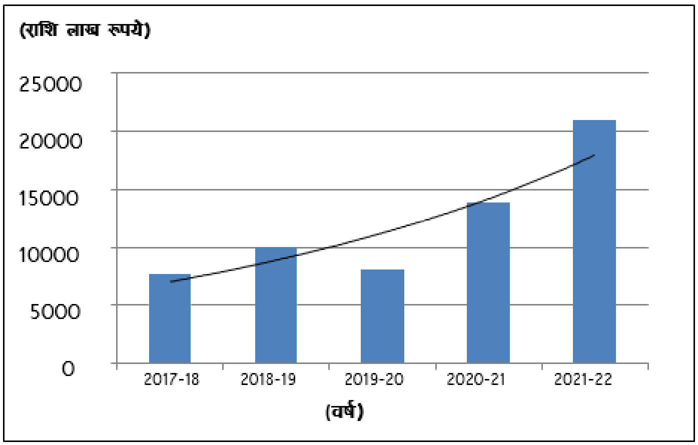

दण्ड आरेख क्र. 1

संवितरित मार्जिन मनी सब्सिडी (लाख रूपये में)

Source: Ministry of MSME, Govt. of India

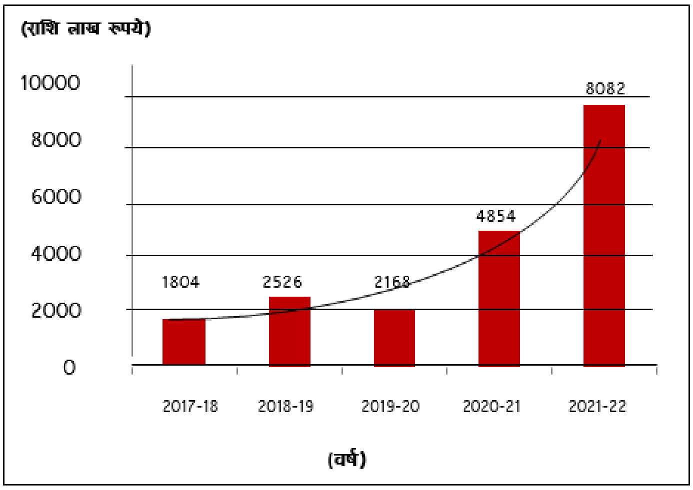

दण्ड आरेख क्र. 2

संवितरित मार्जिन मनी सब्सिडी (लाख रूपये में)

Source: Ministry of MSME, Govt. of India

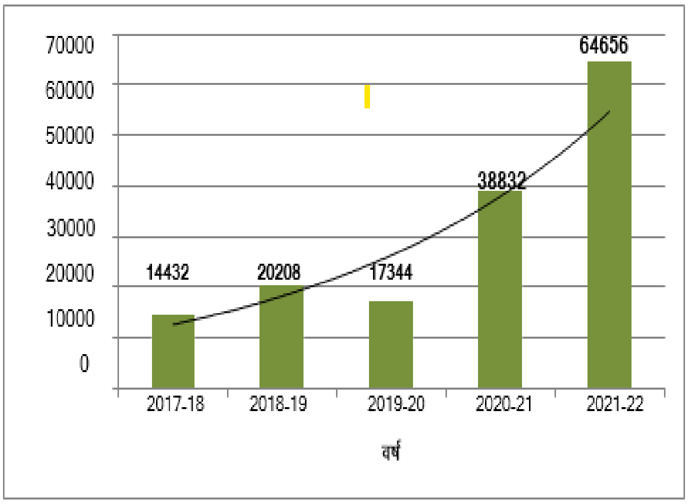

दण्ड आरेख क्र. 3

अनुमानित सृजित रोजगार

Source: Ministry of MSME, Govt. of India

उपरोक्त तालिका एवं आरेखों से दृष्टव्य है कि केवल एक वर्ष अर्थात् 2019-20 के अतिरिक्त पूर्व वर्ष की तुलना में प्रत्येक वर्ष में संवितरित मार्जिन मनी सब्सिडी, सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या तथा सृजित रोजगारों की संख्या में वृद्धि हुई।

परिकल्पना का सत्यापन

स्पष्ट है कि विगत पाँच वर्षों के दौरान चार वर्षों में मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत समंकों में वृद्धि की प्रवृत्ति ही परिलक्षित हो रही है अतः अध्ययन की परिकल्पना सत्यापित होती है कि मध्यप्रदेश राज्य में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा है।

निष्कर्ष

परिकल्पना सत्यापन हेतु प्रयुक्त की गई सांख्यिकीय विधि प्रवृत्ति विश्लेषण का प्रयोग करने से भी यह सिद्ध हो रहा है कि समस्त समंकों में एक वर्ष अपवाद के अतिरिक्त बढ़ती प्रवृत्ति ही अधिक दृष्टिगोचर हो रही है जिससे स्पष्ट होता है कि संवितरित मार्जिन मनी सब्सिडी, सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या तथा अनुमानित सृजित रोजगार की संख्या के संदर्भ में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का मध्यप्रदेश राज्य में उल्लेखनीय प्रदर्शन रहा है। अतः जिला उद्योग केंद्रों को अपने प्रमुख आयामों जैसे वित्तीय और तकनी की सहायता, प्रशासनिक सहायता के माध्यम से औद्योगिक विकास में सकारात्मक भूमिका

का निवर्हन करना है, जिसके परिणामस्वरूप रोजगार सृजन होता है।

संदर्भ

1. तिवारी ओमकार एवं पाण्डेय डॉ. पी.पी. (2021), " सतना जिले के औद्योगिक विकास में जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र के योगदान का विश्लेषणात्मक अध्ययन" International Journal of Advanced Academic Studies, 2021; 3 (2):19-23
2. शर्मा, प्रंकुश (2014) औद्योगिक विकास में जिला उद्योग केंद्र की भूमिका एक महत्वपूर्ण अध्ययन।
3. शिल्पकार, नंदना (2022) लघु उद्योग के विकास में जिला उद्योग केंद्र की कार्य प्रणाली एवं भूमिका सतना जिले के विशेष संदर्भ में।
4. Govt. of M.P. - Cited from Annual Administrative Report of Commerce and Industries Department.
5. New initiative for the employment K.P.I.C. National Nodal Agency
6. Directorate of Industries, M.P. Vindhyachal Bhawan, Bhopal (M.P.)
7. www.sgsry.org.in
8. Ministry of MSME, Govt. of India
9. Department of Micro, Small & Medium Enterprises (Directorate of Industries, M.P.)
10. Government of Madhya Pradesh.